

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2023

जयपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(2)(5)पंचा/रानिआ/2023/5422 दिनांक 20.12.2023 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव माह जनवरी, 2024 के संलग्न सूची अनुसार कार्यक्रम की घोषणा की गई है। पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं पंचों के मतदान की तिथि 10.01.2024 (बुधवार) को घोषित की गई है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के मतदान की तिथि दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को (संलग्न सूची अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन जैमन)

26.12.23

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2023/5558

दिनांक: 3.1.24

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर)(प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर को छोड़कर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग